संख्या:147/2019/410/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:18 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र- लोनी एवं गाजियाबाद से संबंधित कार्यो हेतु रू. 999.79 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 999.79 लाख (रूपये नौ करोड़ निन्यान्बे लाख उन्यासी हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	लोनी	ग्राम निठोरा में राजेन्द्र के मकान से सोनू व विजेन्द्र भगत जी व कालू के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	0.185	10.57	10.57
2	लोनी	गॉव गनौली मुख्य घिटोरा रो पेमी के मकान के सामने से होते हुए मनोज के खेत से होते हुए भोपाल के मकान तक नालीव सी.सी. रो निर्माण कार्य	0.370	35.11	35.11
3	लोनी	ग्राम सकलपुरा में मास्टर जयपाल के मकान से धर्म सिंह के मकान तक नाली व सी.सी. रो निर्माण कार्य	0.100	14.21	14.21
4	लोनी	अफजलपुर में शरदाराम वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	0.140	6.04	6.04
5	लोनी	ग्राम अगरोला में चेनपाल के मार्केट से होते हुए टीकागोपी के प्लाट से होते हुए श्रीपाल के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	1.140	92.29	92.29
6	लोनी	ग्राम पंचायत मेवला भटटी में प्रवीन के घर से सतेन्द्र कुमार के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	0.110	5.60	5.60
7	लोनी	ग्राम मेवला भटटी में आदेश के मकान से मुख्य मार्ग तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य	0.060	1.46	1.46
8	लोनी	ग्राम सिरोली में बाबू के मकान से नहीर प्राइमरी स्कूल तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य	0.210	10.53	10.53
9	लोनी	ग्राम सिरोली में नेपाल के मकान से चिलोी मेवला मार्ग तक सी.सी. रो निर्माण कार्य	0.370	25.32	25.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	लोनी	सिरोरा सलेमपुर में मुख्य मार्ग से प्रीतम प्रधान के घर तक सी.सी. रो॰ निर्माण कार्य	0.280	19.70	19.70
11	लोनी	वा॰ न. 27 के राम विहार में जयप्रकाश के मकान से राजेश नागर के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	0.083	6.45	6.45
12	लोनी	ग्राम खुदाबास में पप्पू तोमर के मकान से ॰ी.के. स्कूल होते हुए वसीम मे॰िकल तक नाला व सी.सी. रो॰ निर्माण कार्य	0.210	51.40	51.40
13	लोनी	खुदाबास में हसमुदीन के मकान से ट्रोनिका सिटी गेट तक नाला व सी.सी. रो॰ निर्माण कार्य	0.290	65.06	65.06
14	लोनी	ग्राम पचारा में बाले के मकान से रूपचंद के प्लाट तक नाली व सी.सी. रो॰ निर्माण कार्य	0.260	32.15	32.15
15	लोनी	वा॰ न. 18 इन्द्रापुरी में बब्बर टेलर से क़ष्ण कुमार भारद्वज के घर होते हुए अशोक तायल के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य	0.210	24.10	24.10
16	लोनी	वा॰ न. 18 इन्द्रापुरी में रजनी के मकान से मिश्राजी तथा निरंजन लाल गुप्ता के मकान से वेद्य के मकान तक नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य	0.145	19.64	19.64
17	लोनी	वा॰ न. 18 इन्द्रापुरी विस्तार में राहुल चौधरी के घर से हनुमान मन्दिर होते हुए रामकुमार के मकान तक तथा कक्की गुर्जर वाली गली में नाली व इंटरलॉकिंग का कार्य	0.255	20.27	20.27
18	लोनी	वा॰ न. 7 विकास कुंज में रविन्द्र मिश्राजी के माकन से विरेन्द्र चौधरी के मकान तक नाली व इंटरलोकिंग का कार्य	0.125	7.41	7.41
19	लोनी	ग्राम सिरौली में बाबू जी राजवीर के मकान से दाताराम के मकन तक नाली व इंटरलॉकिंग निमार्ण का कार्य	0.160	7.22	7.22
20	लोनी	ग्राम टीला में नीरज के मकान से कलीम के प्लाट तक नाली व इंटरलॉकिंग निमार्ण का कार्य	0.104	5.60	5.60
21	लोनी	राम विहार कालोनी में 40 फुट रो॰ पर क़ष्णा विद्यालय तक नाली व सी.सी. रो॰ निर्माण कार्य	0.261	39.68	39.68
		योग वि0स0 क्षेत्र लोनी	**5.068**	**499.81**	**499.81**
22	गाजियाबाद	वा॰ न. 7 बिहारीपुरा में बिहारीपुरा सेल्टर होम से विशाल इंटरनेशनल स्कूल तक सी.सी.रो॰ व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.920	161.91	161.91
23	गाजियाबाद	वा॰ न. 12 न्यू कालिका गढ़ी मौहल्ला बालुपुरा पक्का तालाब पर गली सं. 1,2 व गली सं.3 में सी.सी.रो॰ व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.3015	8.45	8.45
24	गाजियाबाद	वा॰ नं0-14 न्यू विजयनगर ई ब्लॉक में जगमाल पं॰ित के मकान से मुख्य सड़क तक सी0सी0 रो॰ व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.049	4.75	4.75
25	गाजियाबाद	वा॰ नं0-14 न्यू विजयनगर ॰ी0एम0 कालोनी में म0सं0-242 से म0सं0-248 तक सी0सी0 रो॰ व एक तरफ के0सी0 ड्रेन का निर्माण	0.032	2.03	2.03
26	गाजियाबाद	वा॰ नं0-14 सर्वोदयनगर में पार्क के सामने के0के0 मिश्रा के मकान से राजेन्द्रपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.104	8.49	8.49

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
27	गाजियाबाद	वार्ड नं0-17 सेवानगर हिण्डन विहार एल0आर0 कालोनी नन्दग्राम रोड पर आनन्द अग्रवाल के मकान से विकास त्यागी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली का निर्माण कार्य	0.049	2.42	2.42
28	गाजियाबाद	वार्ड नं0-17 सेवानगर एल0आर0 कालोनी नन्दग्राम रोड पर जगपाल के मकान से जगदीश के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली का निर्माण कार्य	0.044	2.79	2.79
29	गाजियाबाद	वार्ड नं0-17 सेवानगर एल0आर0 कालोनी नन्दग्राम रोड पर आर0पी0 के मकान से कालीचरण के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं नाली का निर्माण कार्य	0.046	2.49	2.49
30	गाजियाबाद	वार्ड नं0-17 सेवानगर हिंडन विहार में गली नं.2 रोड न. 1 नईम की दुकान से इकबाल नेता के मकान तक एवं 45 फुटा रोडसे हाजी गफफार के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स तथा रेत मंडी में चतरसिंह की फैक्ट्री से मुकेश के प्लांट तक सी.सी.रोड व दोनो तरफ नालियों निर्माण	0.237	22.15	22.15
31	गाजियाबाद	वार्ड नं0-17 सेवानगर गली सं0-4 में रवि चौधरी के मकान से वर्धमान पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.215	16.84	16.84
32	गाजियाबाद	वार्ड नं0-23 कैलाशनगर कैलाश देहात में गली सं0-11 में (वीरसिंह के मकान से कृपाल के मकान तक एवं नानकचन्द के मकान से किशन के मकान तक) सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.142	6.09	6.09
33	गाजियाबाद	वार्ड नं0-23 कैलाशनगर कैलाश देहात में गली सं0-09 में (सुधीर के मकान से सोनू के मकान तक) सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.098	4.76	4.76
34	गाजियाबाद	वार्ड नं0-23 कैलाशनगर कैलाश देहात में गली सं0-05 में (मुख्य सड़क से प्रकाश केमकान तक) सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.098	4.10	4.10
35	गाजियाबाद	मौहल्ला भू0 भारतनगर रामपुरी में उमरावगढी/सुन्दरपुरी की गली में (जसवंत सोलंकी के मकान से रेलवे रोड तक) सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.224	37.95	37.95
36	गाजियाबाद	मौहल्ला भू0 भारतनगर रामपुरी में कामरेड वाली गली आर्य समाज वाली गली एवं डाकखाने वाली गली तक गलियों में सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.439	31.69	31.69
37	गाजियाबाद	मौहल्ला माधोपुरा की गली सं0-1 से 6 तक में सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.606	39.46	39.46
38	गाजियाबाद	वार्ड नं0-39 नेहरूनगर थर्ड-ए गली सं0-2 में राकेश मार्ग से म0सं0-109 तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.166	23.46	23.46
39	गाजियाबाद	राहुल पॉचाल के मकान से कामवीर के मकान तक(वार्ड नं0-27 शांतिनगर सैन विहार-गाजियाबाद में) सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.259	23.48	23.48
40	गाजियाबाद	वार्ड नं0-11 बजरिया प्रेमनगर में जय भगवान की फैक्ट्री से भास्कर लौज तक सी0सी0 रोड व दोनों तरफ नाली का निर्माण	0.180	22.28	22.28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
41	गाजियाबाद	वार्ड नं0-48 मिर्जापुर में राजकुमार के मकान से सुभाष के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.038	3.59	3.59
42	गाजियाबाद	वार्ड नं0-48 मिर्जापुर में □ब्बू के मकान से राकेश के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.170	12.60	12.60
43	गाजियाबाद	ई-ब्लाक सेक्टर-11 (प्रताप विहार) में मकान सं0-780 से मकान सं0-796 तक सी0सी0 रो□ एवंबायी तरफ नाली का निर्माण	0.089	4.86	4.86
44	गाजियाबाद	ई-ब्लाक सेक्टर-11 (प्रताप विहार) में मकान सं0-593 से मकान सं0-601 तक सी0सी0 रो□ एवं नाली का निर्माण	0.047	5.72	5.72
45	गाजियाबाद	एफ-ब्लाक सेक्टर-11 (प्रताप विहार) में मकान सं0-236 से अन्त (उज्जवल के मकान)तक सी0सी0 रो□ वनाली का निर्माण	0.080	8.48	8.48
46	गाजियाबाद	एफ-ब्लाक सेक्टर-11 (प्रताप विहार) में मकान सं0-328 से मकान सं0-356 तक सी0सी0 रो□ व नाली का निर्माण	0.107	9.59	9.59
47	गाजियाबाद	न्यू पंचवटी(वार्ड नं0-52 कोट गॉव गाजियाबाद) में प्रमोद गोयल वाली गली और उसके बराबर वाली गली में सी0सी0 रो□ का निर्माण	0.095	10.72	10.72
48	गाजियाबाद	वार्ड नं0-52 कोट गॉव न्यू पंचवटी में म0सं0 बी0-04 से पार्क/बी-211 तक इण्टरलाकिंग टाईल्स व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.038	4.15	4.15
49	गाजियाबाद	वार्ड नं0-52 कोट गॉव न्यू पंचवटी में प्रिंस प्रोपर्टीज के बराबर वाली गली में (प्रिंस प्रोपर्टीज से अलका त्यागी/म0सं0 सी-341 तक) इण्टरलाकिंग टाईल्स व दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.080	7.00	7.00
50	गाजियाबाद	वार्ड नं0-52 कोट गॉव न्यू पंचवटी में म0सं0 बी0-205 से म0सं0 बी0-184 तक इण्टरलाकिंग टाईल्स एवं दोनों तरफ नालियों का निर्माण	0.081	7.68	7.68
		योग वि0स0 क्षेत्र गाजियाबाद	**5.035**	**499.98**	**499.98**
		योग जनपद गाजियाबाद	**10.103**	**999.79**	**999.79**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्रिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-1 से 21 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-22 से 50 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:147/2019/410(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
13- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गाजियाबाद।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।